

भाग - 2
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की सत्य वन संरक्षा

परियोजना/ स्वीम का स्थान	जनपद फर्रुखनाद-फलोहाड़-गुरुदासगंज रोड (एकड़/बो-299) किमी नं 9 (मैनेज 8.053) बायीं पट्टी पर खसता 180-834 नि 0 वाम-भुजपुर विरपुरा परवना-भोजपुर, लखीत-खदर, जिला-फर्रुखनाद पर क्षेत्रफल 0.078984 हे० संबंधित वन क्षेत्र में पेट्रोल पम्प निर्माण हेतु वन भूमि का गैरव्यवहारी उपयोग हेतु अनुमति।
7(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
7(2) जिला	फर्रुखनाद
7(3) वन प्रभाग	सामयिक चिकित्सी वन प्रभाग फर्रुखनाद
7(4) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र(हेक्टर में)	0.078984 हे०
7(5) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि
7(6) हरिवासी का फल	0.2
7(7) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि संबंधित कृषि की परिणाम (संलग्न की जाए) सिद्ध/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एक.आर.एन.आर.एन-2 मीटर का सीमावर्ती और एक.आर.एन-4 मीटर भी संलग्न किए जाते।	निर्देशन में वीथी पूरा प्रायः पाये गये, जिनको जंगलदाह भाग-2 में अपलॉय कर दिया गया है।
7(8) भूखण्ड के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर सक्षिप्य दिखाने।	भूखण्ड के सिधे संवेदनशीलता न्यूनतम है।
7(9) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा के अनुमतिगत दूरी।	05 किमी
7(10) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, कन्यारीय अभयारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हजारी कोरीडार आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का भीतर और प्रमुख कन्यारीय वार्डन की दिशादिशा अनुमतिगत की जाए)	नहीं
7(11) क्या क्षेत्र में वनस्थली और प्रजातों की दुर्लभ/संकरायन/विकिरित प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यदि हाँ, तो संरक्षकनी भीतर दें।	नहीं
7(12) क्या कोई सुरक्षित पुनर्स्थापन/पारम्परिक स्थल/ वन प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्थायक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो सत्यवन्धी भीतर संलग्न प्राधिकरण से अनुमति प्रमाण पत्र के साथ, भेदि हो दें।	नहीं
8. प्रस्तावित एजेन्सी द्वारा भाग-1 का भाग-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जाँचे गए स्थलों के भीतर के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित वन भूमि अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9. क्या अधिनियम में उल्लेख में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्रवाई सहित कार्य का भीतर उल्लेखन सचिवी कार्य अभी भी है।	नहीं
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्वीम का भीतर।	-
10(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अधिनियमित वनेतर क्षेत्र/अव्यवस्थित वन क्षेत्र जमा-पत्र के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	खाना गुलजार बाग, क्षेत्रफल-0.18 हे०
10(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अधिनियमित वनेतर/अव्यवस्थित वन क्षेत्र आस पास की वन सीमाओं को दर्शाते नैप।	संलग्न है।
10(3) स्वीम की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्वीम के विवरण कालक्रमण एजेन्सी, समय अनुसूची, लागत दीया आदि।	संलग्न है।
10(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्वीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	1,47,219 लाख
10(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अधिनियमित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धनीय दृष्टिकोण से संलग्न प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्तावित किया जाए)	संलग्न है।
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विरोधक उपयुक्त कालग 7 (11,12) 8 और 9 में पूरे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)।	निर्देशन रिपोर्ट संलग्न है।
12. जिला/जिला प्रोभाहत	वन विभाग जिला फर्रुखनाद।
12(1) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	2333.10 वर्ग किमी०
12(2) जिले का वन क्षेत्र।	406.45 हे०
12(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल व क्षेत्र।	11 मामलों
12(4) 1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण।	क्षेत्रफल 10,67,86,488 हे०
12(4क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।	रिजर्व
12(4ख) वनेतर भूमि परत।	-
12(5) प्रतिपूरक वनीकरण में हुई वृद्धि।	वनाकरण में वृद्धि।
12(5क) वन भूमि पर।	क्षेत्रफल 9,232
12(5ख) वनेतर भूमि पर।	-
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्वय लेने के सक्षम में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों एवं उत्तर प्रदेश संरक्षण द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप प्रस्ताव को स्वीकार करने की संस्तुति की जाती है।

संरक्षक निदेशक
संरक्षक चिकित्सी प्रभाग, फर्रुखनाद